

73/2018 अध्यापक / रामौर

दिनांक

आज्ञा पत्र

पत्रावली पत्र नकारज किमा जाता है। निम्नो एक को रोक जायी है। तबत को पत्रावली लखक कर वि. 13-8-18 को पेश हो



पु. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

13-8-18 का नकारज को रोक आनेसे

24-8-18

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांत/वेधो उपस्थित पीठासीन अधिकारी/अधीनस्थ पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजात कर दिनांक 24-8-18 को पेश हो।

सत्यमेव जयते

24-9-18

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर कहिये किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से अधिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत हैं। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफतर हो।

Not a press अपील चलाना नहीं चाहते हैं।

भाजन शाह
कुमराम
शमशेर

ड. वि. गुथोचन



24/9/18
पु. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
संकर

